डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याःसम्बद्धन/ 971 /2016
दिनांकः 28/9/2016

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य
ज्ञान भारती कालेज ऑफ एजूकेशन, शमसाबाद रोड़, आगरा।

विषयः- ज्ञान भारती कालेज ऑफ एजूकेशन, शमसाबाद रोड़, आगरा को वाणिज्य एवं विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0काम0 एवं बी0एससी0(बायो/मैथ) पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार ज्ञान भारती कालेज ऑफ एजूकेशन, शमसाबाद रोड़, आगरा को वाणिज्य एवं विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0काम0 एवं बी0एससी0(बायो/मैथ) पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन जो कि निम्नवत है, सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

प्राचार्य/शिक्षक अनुमोदित नहीं हैं, प्रबंन्ध समिति अनुमोदित नहीं हैं, तृतीय श्रेणी कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति के प्रमाण संलग्न नहीं हैं।

यह सम्बद्धता (सत्र 2016-17) दिनांक 01.07.2016 से बी0काम0 एवं बी0एससी0(बायो/मैथ) पाठ्यक्रमों हेतु तीन वर्ष के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी :-

(1) महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार **सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।** इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।

(2) महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र बी में इंगित कमियों तथा शिक्षक/प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की प्रक्रिया तीन माह में पूर्ण कर ली जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी व अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(3) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(4) संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।

(5) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।

(6) महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2011-16(409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(7) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाई की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्त कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।

(8) संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा एवं संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।

(9) संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी एवं महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।

(10) महाविद्यालय आल इण्डिया सर्वे ऑफ हॉयर ऐजूकेशन(ए0आई0एस0एच0ई0) से जोड़ने हेतु प्रत्येक सत्र में डी0सी0एफ0 -।। पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

यह सम्बद्धता कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही हैं।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा0 बी0आर0 अम्बेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. सचिव/प्रबन्धक, ज्ञान भारती कालेज ऑफ एजूकेशन, शमसाबाद रोड़, आगरा।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रर्दशन हेतु।
7. वेवसाईट प्रभारी डा0 बी0आर0 अम्बेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. उप/सहायक कुलसचिव/सम्बद्धन/परीक्षा।
9. अधीक्षक सम्बद्धन विभाग।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।

कुलसचिव